

**प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.04.17 में प्रस्तुत।**

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण कौशल, जगदीश, अवंतीबाई उप०।

अनुपस्थित अभियुक्त रामनिवास का हाजिरीमाफी आवेदन प्रस्तुत, विचारोपरांत स्वीकार।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियुक्तगण अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा द्वारा मान० उच्च न्यायालय के एम०सी०आर०सी० प्र०क०-2079/17 रामनिवास विरुद्ध म०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.03.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर लोक अदालत डॉकेट पर फरियादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर एवं अभियुक्तगण सहित उनके अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा द्वारा हस्ताक्षर कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण के मान० उच्च न्यायालय से अपास्त किए जाने के आधार पर लोक अदालत में समाप्त करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आदेश दिनांक 28.03.17 की सत्यता के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा शपथ पूर्वक समर्थन किया गया है। मान० उच्च न्यायालय की माननीय रजिस्ट्री के समक्ष बिना किसी भय, दबाव, लोभ लालच के किया जाना लेख है जिस पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है। पूर्व में भी प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया था।

अतः प्रकरण को लंबित रखने का कोई आधार नहीं है। मान० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.03.17 के पालन में एवं लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण के निवेदन को देखते हुए उपरोक्तानुसार प्रकरण अपास्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र तत्काल प्रभाव से उन्मुक्त किए जाते हैं।

जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

सही/—

सही/—

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी